न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 257/2015 दायरा दिनांक : 04.11.2015

उनवान

गजानन्द पुत्र बालाबक्श, जाति काछी, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– नोन्दीलाल पुत्र प्रभू लाल, जाति काछी, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2– परसराम पुत्र प्रभूलाल, जाति काछी, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3– कलावती पत्नी रमेशचन्द, जाति कोली, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित –श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.02.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 101/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम परोल्या, तहसील छीपाबडोद में शामलाती खाता संख्या 40 की खसरा नम्बर 232/20 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी वादी और प्रतिवादी नम्बर 1, 2, और 3 के शामलाती खाते में स्थित है । इसमें वादी का 1/2 हिस्सा है जिसमें वादी काबिज काश्त है । ग्राम परोल्या में खाता संख्या 16 की खसरा नम्बर 204/20 रकबा 6 बीघा भूमि वादी और प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है जिस पर वादी काबिज काश्त है । वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से आराजी का बंटवारा करने के लिए कहा परन्तु उन्होंने मना कर दिया है । शामलाती खाते में आराजी रहने से विकास कार्य में कठिनायी आती है । अतः दावा वादी स्वीकार कर आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.10.2015 को दावा वादी और काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार कर विवादित आराजी के विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वाद पत्र की मद संख्या 3 लगायत 7 में प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार नहीं किया गया है केवल इवेजिव इंकार किया गया है । अतः इन बिन्दुओं को वाद पत्र में अंकित अनुसार न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । साक्ष्य डी डब्ल्यू 1 और 2, पी डब्ल्यू 1 का ही समर्थन करते हैं फिर भी इसे न मानकर कानूनी त्रुटि की है । वाद के साथ एक

नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है जिसका किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया है । इस नक्शे के अनुसार ही प्रारम्भिक डिक्री जारी करनी चाहिए थी । प्रस्ताव के बाबत वादी के कथन का प्रतिवादीगण ने खण्डन नहीं किया है । अतः वादी की शहादत को उसी अनुरूप माना जाना चाहिए था जो नहीं माना गया है । साक्ष्य को न मानकर त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया था उसका किसी प्रकार का स्पष्ट खण्डन प्रतिवादीगण ने नहीं किया था फिर भी उसी अनुरूप निर्णय पारित नहीं किया गया है । वादी की साक्ष्य की प्रतिवादीगण के साक्ष्य डी डब्ल्यू 1 और डी डब्ल्यू 2 समर्थन करते हैं फिर भी निर्णय दावे के अनुरूप नहीं पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि दावे में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । अपील मेंटेनेबल नहीं है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादी के द्वारा नकल जमाबंदी सम्वत 2066–69 खाता संख्या 40 एक्जीविट पी 1 सलंग्न है जिसमें खसरा नम्बर 232/20 की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी प्रभू लाल वल्द गणेशराम, गजानन्द वल्द बालाबक्श दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 291 का हवाला है जिसके अनुसार प्रभू लाल के स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है और नामान्तरकरण संख्या 294 से परसराम का हिस्सा मनमोहन पुत्र कन्हैयालाल का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है और नामान्तरकरण संख्या 296 से मनमोहन का हिस्सा कलावती पत्नी रमेश चन्द्र के नाम दर्ज करने के आदेश हुए हैं । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 2 खाता संख्या 16 सम्वत 2066–69 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 204/20 रकबा 6 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है और प्रतिवादीगण का 1/2 । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 3 खाता संख्या 17 में खसरा नम्बर 187/20 की 4 बीघा आराजी के गजानन्द वादी का 4/7 हिस्सा और शेष सहखातेदारान अन्य है जो इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है और न ही इस आराजी के विभाजन की प्रार्थना की है । एक्जीविट पी 4 नोटिस की नकल है । एक्जीविट पी 5 की भी नोटिस की नकल है । एक्जीविट पी 6, पी 7, पी 8 डाक विभाग की रसीद है । दो फोटो भी एक्जीविट पी 9 और पी 10 के रूप में पत्रावली में सलंग्न है । प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया है और यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है और वह उस पर उसका कब्जा काश्त है । प्रतिवादी अपने हिस्से की आराजी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के अनुसार खाता विभाजन कराने का अधिकारी है । इसके अलावा बयान वादी पी डब्ल्यू 1, ओम प्रकाश पी डब्ल्यू 2 ,रतन लाल पी डब्ल्यू 3 कराये गये है और प्रतिवादी की ओर से बयान नोन्दीलाल डी डब्ल्यू 1, रामस्वरूप डी डब्ल्यू 2 करवाये गये हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किये हैं । प्रारम्भिक डिक्री राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर ही जारी की जाती है और पक्षकारान के कब्जे का ध्यान अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व रखा जाता है । अपील में अपीलांट ने ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं रखा है जिससे कि यह प्रमाणित हो कि प्रारम्भिक डिक्री में प्रतिवादीगण का जो हिस्सा निर्धारित किया गया है वह गलत है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा पेश किये गये दावे में भी उन्होंने अपना वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से ही बताया है और प्रारम्भिक डिक्री राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार ही जारी की गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा